

दिल्ली विकास प्राधिकरण  
रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स  
सेक्टर -14, रोहिणी, दिल्ली - 110085

क्रमांक एसपी/आरएससी/0049/2023/एफ 1/-आरएससी/24

दिनांक : 09 जनवरी 2026

**कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या- 02 /आरएससी/डीडीए/2025-26**

दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (स्पोर्ट्स विंग) के चेयरमैन की तरफ से रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नीचे दिए गए काम के लिए ऑनलाइन कोटेशन मंगाए गए हैं। कोटेशन दो हिस्सों में अपलोड किया जाएगा, यानी 'पार्ट-I' जिसमें टेक्निकल बिड होगी और 'पार्ट-II' जिसमें 'फाइनेंशियल बिड' होगी। जो बिड तय तरीके से अपलोड नहीं की जाएगी, उसका कोई हिसाब नहीं रखा जाएगा। कोटेशन देने वाले को GST डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड होना चाहिए और टेंडर के साथ रजिस्ट्रेशन की एक कॉपी देनी होगी। इसका प्रूफ टेक्निकल बिड के साथ अपलोड करना होगा। अर्नेस्ट मनी RTGS/NEFT के ज़रिए "CAU SPORTS DDA (EMD ACCOUNT)" के अकाउंट नंबर 1614159849 में "कोटक महिंद्रा बैंक, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली, (IFSC. KKBK0000184)" में जमा करनी होगी।

**अभी:- DDA रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मेंटेनेंस।**

एस.एच. .: रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टेनिस क्ले कोर्ट के रखरखाव के लिए लाल मूरम की आपूर्ति।

अनुमानित कीमत: 2,05,486/- रुपये

बयाना राशि : 5,000/-

**(मात्रा की अनुसूची संलग्न है)**

कोटेशन डॉक्यूमेंट्स ई-टेंडरिंग पोर्टल यानी वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> या [www.dda.org.in](http://www.dda.org.in) से 12 बजे तक मिल सकते हैं/डाउनलोड कर सकते हैं। 19.01.2026 (03:00 pm) (बिक्री की आखिरी तारीख) और 20.01.2026 (3.30 PM) को टेक्निकल बिड खोली जाएगी। कोटेशन देने वाले को RTGS/NEFT का यूनिक ट्रांज़ैक्शन रेफरेंस तय तारीख तक ई-टेंडरिंग सिस्टम में अपलोड करना होगा।

**तकनीकी बोली (पहला कवर )**

टेक्निकल बिड में कोटेशन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स देने होंगे:-

- i. RTGS/NEFT (EMD) के रेफरेंस की स्कैन की हुई कॉपी।
- ii. PAN नंबर की स्कैन की हुई कॉपी
- iii. GST रजिस्ट्रेशन की स्कैन की हुई कॉपी।
- iv. DDA के कॉन्ट्रैक्टर्स रजिस्ट्रेशन बोर्ड में जमा की गई ज़रूरी फीस के प्रूफ की स्कैन की हुई कॉपी।
- v. एक जैसे काम का अनुभव।

**वित्तीय बोली (दूसरा कवर )**

- i. फाइनेंशियल बिड का शेड्यूल BoQ\_XXXXX.xls के फॉर्म में।

टेक्निकल बिड के साथ ज़रूरी जानकारी और/या डॉक्यूमेंट्स और/या अर्नेस्ट मनी की कमी वाले किसी भी टेंडर पर विचार नहीं किया जाएगा।

DDA के कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन बोर्ड (CRB) में रजिस्टर्ड बिडर/टेंडर को नीचे दिए गए तरीके से ई-टेंडरिंग का सालाना चार्ज देना होगा:

एस. नं.	ठेकेदार का वर्ग	प्रति वर्ष भुगतान की जाने वाली राशि
1	क्लास- I	20,000 रुपये + GST जो भी लागू हो
2	वर्ग द्वितीय	16,000 रुपये + GST जो भी लागू हो
3	कक्षा-III	14,000 रुपये + GST जो लागू हो
4	चतुर्थ श्रेणी	10,000 रुपये + GST जो भी लागू हो
5	कक्षा-वी	6,000 रुपये + GST जो लागू हो

बिडर/ टेंडर DDA में रजिस्टर्ड नहीं हैं और DDA टेंडर में बिड करना चाहते हैं, उन्हें E-tendering का सालाना चार्ज Rs. 20,000/- + GST देना होगा, जैसा भी लागू हो। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर तय तारीख तक पेमेंट नहीं करता है, तो वह कॉन्ट्रैक्टर टेंडरिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगा।

*(यूनिक ट्रांज़ैक्शन रेफरेंस) का इस्तेमाल करेगा। अगर यह पाया जाता है कि उसने अलग-अलग टेंडर के लिए एक ही UTR नंबर का इस्तेमाल किया है, तो उसके जमा किए गए सभी टेंडर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और उसे भविष्य में DDA में आगे टेंडर देने से रोक दिया जाएगा।"*

**टिप्पणी (2) :** इच्छुक निविदाकर्ता को डीडीए में निविदा डालने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अपेक्षित शुल्क पहले ही सीआरबी के पास जमा करा दिया गया है।

**नोट (3):-** टेंडर खुलने तक टेंडर देने वालों को किसी भी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी। ज़रूरी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी सिर्फ सबसे कम कीमत वाले टेंडर देने वाले से ही चाहिए होगी।

**नोट (4):-** नियम और शर्तों, खास काम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अर्नेस्ट मनी, टेंडर की कीमत वगैरह RTGS मोड से जमा करने का तरीका और दूसरी जानकारी/इंस्ट्रक्शन के लिए, कृपया DDA की वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> या [www.dda.org.in](http://www.dda.org.in) पर जाएं। ई-टेंडरिंग पर किसी भी मदद के लिए कृपया संबंधित EE या M/s NIC से ईमेल [cphp-nic@nic.in](mailto:cphp-nic@nic.in) या 0120-4200462, 0120-4001002, 0120-4001005 & 01206277787 पर संपर्क करें या [support-eproc@nic.in](mailto:support-eproc@nic.in) पर मेल भेजें।

**नियम एवं शर्तें:-**

1. सप्लआई स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार की जाएगी।
2. बताए गए रेट में GST समेत सभी टैक्स/लेवी शामिल होने चाहिए, जो संबंधित राज्यों के तहत देने होंगे, DDA इस बारे में किसी भी तरह का क्लेम नहीं मानेगा।
3. पेमेंट RE(RSC)/सेक्रेटरी/RSC, DDA के पूरी तरह सैटिस्फैक्शन के बाद किया जाएगा।
4. डिपार्टमेंट की तरफ से कोई T&P जारी नहीं किया जाएगा।
5. एजेंसी को कोई एडवांस पेमेंट नहीं किया जाएगा।
6. कमिश्नर (स्पोर्ट्स) के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी बिड / कोटेशन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है।
7. अगर काम तय समय में पूरा नहीं होता है, तो कमिश्नर (स्पोर्ट्स) के पास संबंधित एजेंसी को डिबार करने का अधिकार है, क्योंकि काम घटिया पाया जाता है।
8. कंडीशनल कोटेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
9. ज़रूरी कानूनी कटौती की जाएगी।
10. टेंडर अमाउंट से 10% सिक्योरिटी डिपॉज़िट काट लिया जाएगा।
11. किसी भी नाबालिग को साइट पर काम पर नहीं रखा जाएगा।
12. डिपार्टमेंट की तरफ से एजेंसी को कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं किया जाएगा।
13. कोटेशन की वैलिडिटी खुलने की तारीख से 60 दिन है।

14. जिस एजेंसी या व्यक्ति को टेंडरिंग प्रोसेस में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी, उसे टेंडरिंग प्रोसेस में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एजेंसी की रेप्युटेशन अच्छी होनी चाहिए और उसकी रेप्युटेशन खराब नहीं होनी चाहिए।
15. किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसे डिबार किया गया है, किसी भी बातचीत में हिस्सा लेने या किसी एजेंसी को रिप्रेजेंट करने की इजाजत नहीं है, भले ही उसके पास एजेंसी की तरफ से पावर ऑफ अटॉर्नी हो। डिबार किए गए लोगों को काम पर रखने वाली कोई भी एजेंसी भी डिबार हो सकती है।
16. शेड्यूल में आइटम की मात्रा टेरेटिव है जो साइट की कंडीशन के आधार पर बदल सकती है।
17. अगर पूरा काम वर्क ऑर्डर में बताए गए तय समय में नहीं होता है, तो यह सेक्रेटरी/RSC की मर्जी होगी कि वह आइटम का काम उन शर्तों पर स्वीकार करे जो सेक्रेटरी को सही और उचित लगें या सप्लाय/वर्क ऑर्डर कैसिल कर दे/ काम के बदले कोई भी पेमेंट रोक दे/ बयाना ज़ब्त कर ले या संबंधित एजेंसी को डिबार कर दे। इस बारे में सक्षम अधिकारी का फैसला आखिरी होगा और किसी भी फ़ोरम के सामने इस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।
18. काम पूरा होने के दौरान कॉन्ट्रैक्टर पूरी तरह ज़िम्मेदार होगा। अगर साइट/आस-पास कोई नुकसान/चोरी/डैमेज होता है, तो उसे बताए गए रेट पर पूरा किया जाएगा या एजेंसी से वसूला जाएगा/एजेंसी अपने रिस्क और खर्च पर पूरा करेगी।
19. अगर कोई एजेंसी पहली बार गलत या अधूरा टेंडर जमा करती है, तो जमा की गई अर्नेस्ट मनी का 20% ज़ब्त कर लिया जाएगा। लेकिन, अगर एजेंसी बाद के टेंडर में फिर से गलती करती है या अधूरा टेंडर जमा करती है और सक्षम अथॉरिटी को लगता है कि गलती जानबूझकर, लापरवाही से या गलत इरादे से की गई है, तो अर्नेस्ट मनी बिना कोई कारण बताए पूरी तरह से ज़ब्त कर ली जाएगी और टेंडर देने वाले को भविष्य में टेंडरिंग में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
20. अगर बिडर्स के बताए गए रेट्स एक जैसे हैं, तो फैसला लेने के लिए, कॉम्प्लेक्स के सेक्रेटरी, RE/RSC और कॉम्प्लेक्स के DDO की एक कमेटी लॉटरी निकालेगी।
21. DDA के सदस्यों और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के रियल टाइम फीडबैक के आधार पर, जब भी सर्विस में कोई कमी देखी जाएगी, तो उसे ठीक करने के लिए एजेंसी/कॉन्ट्रैक्टर को बताया जाएगा। अगर बताई गई अवधि के अंदर कोई सुधार/सुधार नहीं होता है, तो एजेंसी/कॉन्ट्रैक्टर से, सक्षम अथॉरिटी द्वारा मंजूर किए गए अनुपात में कटौती की जाएगी।
22. सप्लाय/काम ऑर्डर जारी होने की तारीख से 15 दिनों के अंदर पूरा हो जाएगा।

- एसडी -

आरई(सिविल)/आरएससी

#### में कॉपी:-

1. कमिश्नर (स्पोर्ट्स), DDA - जानकारी के लिए कृपया।
2. डायरेक्टर (सिस्टम)/DDA को ई-मेल ddatender@dda.org.in से भेजें।
3. सीनियर एओ (खेल), डीडीए।
4. DDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सभी सेक्रेटरी।
5. डीडीए कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ई-18 विकासकुटीर, नई दिल्ली।
6. डीडीए कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन, कमरा नं.12, बैरक नं.1, ब्लॉक- ए, विकास कुटीर, नई दिल्ली।
7. दिल्ली कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन (सी), 306, मस्जिद मोठ, ए नडीएसई, भाग-II, नई दिल्ली।
8. एएओ / आरएससी।
9. सूचना पट्ट।

- एसडी -

आरई(सिविल)/आरएससी